



कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 27, बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, वाज्रा कुल्ला कॉम्प्लेक्स, वाज्रा (ईस्ट), मुम्बई- 400051

शाखा कार्यालय: 6वां तल, एटलॉटिस टॉवर, डी-231/232, आग्रवाली मार्ग, आग्रवाली सर्किल के पास, वैशाली नगर, जयपुर- 302021

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की विधियों आदितियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्वारा जनसाधन्य को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानदारों को सूचना दी जाती है कि कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ("प्रतिभूत लेनदार") नीचे वर्णित संश्लेष/प्राप्य अचल सम्पत्ति, जिस पर प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत प्राधिकारी ने दिनांक 07/01/2022 को कब्जा कर लिया है, को "जहाँ है वहाँ है", "जो है वहाँ है तथा जो कुछ भी है वहाँ है" के आधार पर ऋणियों- 1. इंडियालाइन फूड्स लिमिटेड (बोली) (पूर्व में इंडियालाइन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना), 11-70- प्रथम मंजिल, उपासना हाउस, जनता स्टोर के पास, चापू नगर, जयपुर-302015 (राजस्थान), दूसरा पता: दुकान संख्या 350, 351, 352, तीसरी मंजिल, सवाभी मॉशन, एमआई रोड, जेडर - 302018 (राजस्थान), 2. श्री राकेश श्री कुलवाल (गारंटर), 144 कैलाशपुरी गीना कॉलोनी, दुर्गापुर, जयपुर-302018, (राजस्थान), दुर्गापुर, जयपुर-302018, (राजस्थान) और 3. श्री शंकर लाल कुलवाल (गारंटर और संश्लेषकर्ता), 144 कैलाशपुरी गीना कॉलोनी, दुर्गापुर, जयपुर-302018, (राजस्थान) और 4. श्री शंकर लाल कुलवाल (गारंटर और संश्लेषकर्ता), 144 कैलाशपुरी गीना कॉलोनी, दुर्गापुर, जयपुर-302018, (राजस्थान) और 5. वरिष्ठ हरि प्रयागन ग्यारसीलाल (गारंटर और संश्लेषकर्ता), श्री चंवर लाल कुलवाल की प्रोप्राइटीजिफि फर्म, राँप नंबर 35 जीहरी बाजार, जयपुर-302003, (राजस्थान) से प्रतिभूत लेनदार के कब्जा पर, 11,05,94,319.02 (एकपने ग्यारह करोड़ पाँच लाख चौरानवे हजार तीन सौ उन्नीस एवं दो पैसे मात्र) दिनांक 18/05/2019 तक तथा आगे का व्याज, लागते, शुल्को एवं एचर्चों की वसुली हेतु दिनांक 04 मार्च, 2022 को प्राप्त: 11 बजने से दोपहर 1 बजे तक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की जायेगी। सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य (जिस मूल्य से नीचे सम्पत्ति नहीं बेची जाएगी), जया धरोहर राशि का विवरण तालिका में वर्णित है-

बिक्री हेतु सम्पत्ति का वर्णन

मैसर्स हरिनारायण ग्यारसी लाल के स्वामित्व में सम्पत्ति (सम्पत्ति संख्या 1)

सम्पत्ति के सभी अंश च अंग गठित होते हैं मैसर्स हरिनारायण ग्यारसीलाल के स्वामित्व में जितमें गैर कृषि अचल सम्पत्ति दुकान नं. 2, ब्लॉक-क, मुख्य गंभी परिवार, सूरजपोल, जयपुर में स्थित, वहाँ पर सुपरस्ट्रक्चर के साथ सभी मौजूदा इमारतों और संरचनाओं तथा इमारतों एवं संरचनाओं की बिक्री भी सम्यक् बर्तना जा सकता है एवं संबंधित संश्लेष नारीख से वहाँ पर दोनों वर्तमान व भविष्य में सभी फिक्चर एवं फनीचर्स व प्लॉट एण्ड यर्फीनीय जो स्थाई रूप से भूमि पर व भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी वर्तमान और भविष्य के निर्माण के साथ, उक्त सम्पत्ति के चार कोने इस प्रकार है- पूर्व: दुकान नं. क-3, पश्चिम: दुकान नं. क-1, उत्तर: 40 फीट गैड, दक्षिण: 40 फीट गैड

श्री राकेश श्री कुलवाल के स्वामित्व में सम्पत्ति (सम्पत्ति संख्या 2)

सम्पत्ति के सभी अंश च अंग गठित होते हैं जिनमें श्री राकेश श्री कुलवाल के स्वामित्व में गैर कृषि अचल सम्पत्ति खसरा नं. 146, 173, 149, 150/2 एवं 148/1083, गंगल प्लाट, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित, वहाँ पर सुपरस्ट्रक्चर के साथ सभी मौजूदा इमारतों और संरचनाओं तथा इमारतों एवं संरचनाओं की बिक्री भी सम्यक् बर्तना जा सकता है एवं संबंधित संश्लेष नारीख से वहाँ पर दोनों वर्तमान व भविष्य में सभी फिक्चर एवं फनीचर्स व प्लॉट एण्ड यर्फीनीय जो स्थाई रूप से भूमि पर व भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ पर सभी वर्तमान और भविष्य के निर्माण के साथ, उक्त सम्पत्ति के चार कोने इस प्रकार है- पूर्व: NA, पश्चिम: NA, उत्तर: NA, दक्षिण: NA

बिक्री का विवरण

| क्र. सं. | सम्पत्ति संख्या | नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित अचल संपत्ति के लिए आरक्षित मूल्य | जमा धरोहर राशि |
|-------------------------------|-----------------|---|----------------|
| 1 | 1 | 2,00,00,000.00 | 20,00,000.00 |
| 2 | 2 | 2,75,00,000.00 | 27,50,000.00 |
| ई-नीलामी की दिनांक | | 04-03-2022 को प्रातः 11 बजने से दोपहर 01 बजे | |
| निविदा खोलने का स्थान | | कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, एम्री विजनेस ग्रुप 6वां तल, एटलॉटिस टॉवर, डी-231/232, आग्रवाली मार्ग, आग्रवाली सर्किल के पास, वैशाली नगर, जयपुर- 302021 | |
| बोली जमा करने की अंतिम दिनांक | | दिनांक : 03 मार्च, 2022 को सायं 4 बजे | |
| निरीक्षण की दिनांक एवं समय | | दिनांक : 01 मार्च, 2022 को प्रातः 10 बजे से दोपहर 3 बजे। | |

ई-नीलामी द्वारा चल/अचल संपत्ति की बिक्री के नियम और शर्तें:-

- नीलामी बिक्री ज़रिये 'ऑनलाइन ई-नीलामी / बोलों' वेबसाइट के अनुमोदित सेवा प्रदाता, ई-प्रोच्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर), जिसका कार्यालय- अहमदाबाद, गुजरात - 380006 द्वारा होगी, हेल्पलाइन नंबर श्री चिंतन प्रदत्त, दूरभाष संख्या 079-68136880/881/837/842/ 09978591888, और वेब पोर्टल <https://kotakbank.auctiontiger.net> हेल्प लाइन मेल आईडी support@auctiontiger.net
- नीलामी बिक्री दिनांक 04 मार्च 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के मध्य 5 (पांच) मिनट के लिए स्वतः विस्तार के साथ आयोजित की जाएगी, यदि बोली नियत समय से पहले अंतिम पांच मिनट में रखी जाती है।
- प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मूल्य, प्राधिकृत अधिकारी ('एजेंट') द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से अधिक होगा और बोलीदाता अपनी बोली को रुपये 25,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के मुकदमे में आगे बढ़ा सकेगा।
- संपत्ति एजेंट द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य के नीचे दी गई बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और जमा की गई ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
- सफल बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया के वंद होने के तुरंत बाद या अगले कार्य दिवस की समाप्ति से पहले भुगतान की गई ऋण राशि (अमानत राशि सहित) का 25% भुगतान करना होगा। ऋण मूल्य के शेष 75% का भुगतान बैंक द्वारा बिक्री की पुष्टि के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर या ऐसी बिस्तारित अवधि के रूप में करना होगा जो लिखित रूप में तथा एजेंट के विवेक पर सरसमत हो, ऐसा न करने पर बैंक क्रेता द्वारा पहले से भुगतान/जमा की गई राशि को जब्त कर लेगा और एजेंट के पास अगले उच्चतम बोली लगाने वाले को बिक्री की पुष्टि करने का अधिकार है।
- बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और कार्यवाही में भाग लेने से पहले बोली प्रपत्र और बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए उक्त वेबसाइट <https://kotakbank.auctiontiger.net> देखें।
- बोलियों केवल निर्धारित प्रारूप (प्रारूपों) में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें संबंधित विवरण विधिवत भरे हुए होंगे। किसी अन्य प्रारूप/अपूर्ति बोलियों में जमा की गई बोलियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- सभी बोली प्रपत्रों के साथ निम्नलिखित केवाईसी दस्तावेजों की प्रतियाँ होंगी चाहिए, जैसे (i) पैन कार्ड (ii) आधार कार्ड/पासपोर्ट (iii) वर्तमान पता प्रमाण (iv) वैध ई-मेल आईडी (V) संपर्क नंबर (मोबाइल/लैंडलाइन) आदि। उक्त दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ ऊपर बताई गई ईमेल आईडी पर जमा की जाएगी। साथ में बिक्री नोटिस में वर्णित संपत्ति हेतु जमा धरोहर राशि (ईएमडी) जयपुर में देय कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्रफ्ट के रूप में जमा की जाएगी।
- इच्छुक बोली लगाने वाले को ईएमडी जमा करने का प्रमाण बैंक को स्वीकृति प्रारूप में प्रस्तुत करना चाहिए।
- बोलीदाताओं के पास वैध ई-मेल आईडी होनी चाहिए। बिक्री के प्राधिकृत अधिकारी प्रतिभूत लेनदार/सेवा प्रदाता से सभी प्रासंगिक जानकारी केवल ईमेल के माध्यम से ली जा सकती है।
- संबंधित इच्छुक बोलीदाता ई-नीलामी में भाग लेने पर ऑनलाइन/व्यक्तिगत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ऊपर वर्णित विवरण पर सेवा प्रदाता से संपर्क कर सकते हैं।
- यद्यपि, न तो अधिकृत अधिकारी और न ही प्रतिभूत लेनदार या सेवा प्रदाता बिक्री भी तकनीकी चूक/बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
- असफल बोलीदाताओं को ईएमडी ई-नीलामी कार्यवाही बंद होने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर वापस कर दी जाएगी।
- नित्यी बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। यदि ऋणी/गारंटर ई-नीलामी की नियत तिथि और समय से पहले प्रतिभूत लेनदार को देय पूरी राशि का भुगतान करते हैं, तो कोई बिक्री नहीं की जाएगी।
- एजेंट के सर्वोच्च ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त संपत्तियों पर कोई अन्य भार नहीं है, हालांकि संभावित निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उचित कर्तव्यवाही करें और शीर्षक/खण्ड आदि के संबंध में स्वतंत्र जांच करें। एजेंट को उपरोक्त संश्लेष संपत्ति के संबंध में सरकार और किसी को भी किसी भी शुल्क, ग्राहणाधिकार, भार, संश्लेष का या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। संपत्तियों को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वह प्रतिभूत लेनदार को ज्ञात हो या अज्ञात।
- एजेंट को किसी भी निविदा/निविदाओं को अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी रद्द करने का अधिकार प्राप्त है।
- बिक्री की शर्तों के अनुपालन पर, एजेंट क्रेता के पक्ष में 'बिक्री का प्रमाण पत्र' जारी करेगा। स्टॉप शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वाहन, वेट, टीडीएस, जीएसटी, आदि से संबंधित सभी खर्च क्रेता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- बिक्री परफेरी अधिनियम/विधाय, 2002 में निर्रक्षित शर्तों और ऊपर उल्लिखित शर्तों के अधीन है।
- संपत्ति के निरीक्षण आदि के संबंध में आप हमारी वेबसाइट <https://www.kotak.com/en/bidnkauctions.html> पर भी जा सकते हैं। इच्छुक बोलीकर्ता प्राधिकृत अधिकारी, कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री विवेक जोशी फोन नंबर 9672980959, एम्री विजनेस ग्रुप 6 वीं मंजिल, एमआई एटलॉटिस टॉवर, डी-231/232, आग्रवाली मार्ग, आग्रवाली सर्किल के पास, जयपुर-302021 से संपर्क कर सकते हैं।

स्थान: जयपुर, दिनांक: 29/01/2022

वास्तु कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड प्राधिकृत अधिकारी